न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 39/2021
जीसीएमएस : 2021/615

01. हनुमानपुरी पुत्र श्री बृजपुरी जाति गुसांई साकिन 5 के.एस.डी.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

अप्रार्थी

बनाम

01. अमनप्रीतसिंह पुत्र श्री काकासिंह जाति जटसिख साकिन डबली राठान जिला हनुमानगढ़ हाल मोहकमवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—21.10.2021

उपस्थितः 1.श्री हेतराम बिश्नोई प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री सोहन वर्मा अप्रार्थी अधिवक्ता।

दिनांक 31.05.2024

—निर्णय—

01. सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 के.एस.डी. बी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 86 के मु.नं. 19 प.नं. 252/364 के कि.नं. 1/0.253 है अ क., 2/1 में 0.160 है.अ.क., 9/2 में 0.160 है., अ.क., 10—11 सालम 0.506 है. क., 12/2 में 0.160 है. क., 16/2 में 0.160 है खाला, 19/2 में 0.160 है. क., 20—21 सालम 0.506 है., क., 22/1 में 0.161 है. क. व 25/2 में 0.026 है., खाला कुल 2.108 है कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला कृषि भूमि प्रार्थी हनुमानपुरी के नाम खातेदारी है खातेदारी भूमि को काश्त करने व फसल लाने व कृषि यंत्र लाने व ले जाने के प्रयाजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 5 केएसडी बी. के खाता संख्या 5 के मु.न. 19 के कि.नं. 2/2—3—4 में व खाता सं. 5 के मु.नं. 19 के कि.नं. 5 मे 1—1/2, 1—1/2 बिस्वा भूमि उतरी पासा में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

02. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी के हाजिर नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी पुनः पक्षकार बनने के लिए दिनांक 13.04.2024 को जरिये अधिवक्ता श्री सोहन वर्मा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया। जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। पक्षकार बनने के उपरान्त अप्रार्थी की तरफ से श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। अधिवक्ता ने अप्रार्थी की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 5 के.एस.डी. [illegible] 19 के उत्तरी साईड चिपता मुरब्बा के कि.नं. 21 ता 2[illegible] भूमि है उस भूमि में मौजूदा मे रास्ता चल रहा [illegible] स्वीकृत कर दिया जावे। न्यायोचित होगा। [illegible] भी कम देना होगा। व चिपता मुरब्बा है चिप[illegible] देखे तो मौका देखने से स्पष्ट हो सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:42:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

03. तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/918 दिनांक 18.05.2023 एवं राजस्व/2023/61 दिनांक 23.01.2024 से प्राप्त हो चुकी है मौका रिपोर्ट मुताबिक चक 5 केएसडी प.न. 252/364 मु.नं. 19 में कुल 2.108 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड/खाला भूमि प्रार्थी हनुमानपुरी पुत्र बृजपुरी जाति गुसाई के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक सुखचैनपुरा के रहन दर्ज है वाके चक 5 केएसडी बी के प.नं. 252/364 मु.न. 19 में 4.217 है. कमाण्ड मय खाला भूमि अप्रार्थी अमनप्रीतसिंह पुत्र श्री काकासिंह संरक्षक सरपरस्त पिता काकासिंह जाति जटसिख साकिन डबली राठान हनुमानगढ खातेदार दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी को अपनी भूमि प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु चक 5 केएसडी के मु.न. 19 के कि.नं. 2/2-3-4-5 प्रत्येक मे 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा यानि 0.018-0.018 है. उतरी पासा पर रास्ता नियमानुसार स्वीकृत किया जाना उचित है।

04. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी डीएलसी दर की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि देने हो सहमत है अप्रार्थी अधिवक्ता ने मु.नं. 19 के कि.नं. 21 ता 25 बारानी भूमि मे रास्ता देने हेतु सहमति दी।

05. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित उपतहसीलदार समेजाकोठी-भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि चक 5 केएसडी के मु.नं. 19 के कि.न. 2/2-3-4-5 प्रत्येक में 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा यानि 0.018-0.018 है. उतरी पासा पर रास्ता स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। यह प्रार्थी की आत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम [illegible] है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:42:45 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

:आदेश:

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 5 केएसडी के मु.नं. 19 के कि.नं. 2/2-3-4-5 प्रत्येक में 1-1/2, 1-1/2 बिस्वा यानि 0.018-0.018 है. उतरी पासा पर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** इस रास्ता मे आई भूमि के बदले में प्रार्थी अप्रार्थी को डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से प्रतिकर राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थी को भुगतान करे। उक्त रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार रायसिंहनगर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:42:45 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner